राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद

(स्टेट ओपन बिल्डिंग, प्रथम फ्लोर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान–ऑफिस)
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017
दूरभाष : 0141–5192265, 5192261 E-mail: modelschools.rcse@gmail.com

RCSE

क्रमांक रामाशिप/जय/ SAG/ निर्देश (07)/ 4418 दिनांक : 16.6.16

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय :– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2016–17 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी दिशा–निर्देश ।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वर्ष 2016–17 की वार्षिक योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत जारी की जाने वाली राशि के उपयोग संबंधी दिशा निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :–

A. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2016–17 की राशि के उपयोग हेतु सामान्य दिशा–निर्देश :–

1. रामाशिअ की वार्षिक योजना 2016–17 में विद्यालय वार्षिक अनुदान 13865 विद्यालयों हेतु 50,000 रू. प्रति विद्यालय की दर से स्वीकृत किया गया हैं, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसी वित्तीय वर्ष में राशि का उपयोग विद्यालय आवश्यकता की प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित वित्तीय सीमा में निम्नांकित मदों हेतु किया जावे :–
   - 1.1. बिजली, पानी, टेलीफोन, इंटरनेट, सफाई, रंगाई–पुताई आदि सुविधाओं पर।
   - 1.2. समाचार पत्रों, मैगजीन, पीरियोडिकल्स, पुस्तक क्रय आदि पर।
   - 1.3. खेलकूद सामग्री, संगीत, शिक्षण सहायक सामग्री, नक्शे, चार्ट्स, स्टेशनरी आदि।
   - 1.4. स्पोर्ट्स दिवस, वार्षिक दिवस, बैठक आयोजन।
   - 1.5. प्रयोगशाला उपकरणों के रिपेयर/रिप्लेसमेंट एवं प्रयोगशाला Consumables, अग्निशमन यंत्र रख–रखाव।
   - 1.6. अन्य आवर्ती मद में विद्यालय आवश्यकतानुसार।
   - 1.7. बुक रेक

नोट :– अनावर्ती मद जैसे फर्नीचर, उपकरण क्रय एवं अन्य स्थायी सामग्री आदि पर व्यय नहीं किया जावें ।

2. एसएजी राशि माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों को ही जारी की गई है। सत्र 2014–15 से संचालित प्रथम चरण के 66 स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों को भी यह राशि जारी करें।
3. विद्यालयों द्वारा उक्त राशि एवं इसके विरूद्ध किये गये व्यय का पृथक से रिकॉर्ड संधारण किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि का पर्याप्त उपयोग सुनिश्चित हो एवं विद्यालय पर इसका गुणात्मक प्रभाव दिखाई दे इसके लिए पुख्ता मॉनिटरिंग एवं आकस्मिक निरीक्षण का प्रावधान भी जिला स्तर पर किया जावें।
4. राज्य स्तर से लगातार प्रभारी अधिकारियों द्वारा विजिट के दौरान उक्त राशि की उपयोगिता बाबत् निरीक्षण किया जावेगा।
5. जिला कार्यालय को परिषद् से राशि प्राप्त होने के उपरांत सात दिवस के भीतर राशि संबंधित विद्यालयों में भिजवाना सुनिश्चित करें। विद्यालयों को प्रेषित की गई राशि की सूचना निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 31.07.2016 तक राज्य कार्यालय को प्रेषित करें।
6. विद्यालयों को इस राशि के समुचित उपयोग के लिए संबंधित संस्थाप्रधानों को उपयुक्त एवं स्पष्ट निर्देश जारी करें।
7. सभी विद्यालयों द्वारा उन्हें प्राप्त राशि का शत् प्रतिशत उपयोग दिनांक 28.02.2017 तक निर्धारित मापदण्डानुसार कर लिया जावें। विद्यालयों को राशि जारी किए जाने की सूचना सात दिवस के भीतर परिषद् मुख्यालय को प्रेषित करें।
8. विद्यालयों को जारी की गई राशि के विरूद्ध व्यय की सूचना संलग्न पत्रानुसार संकलित करें। (संलग्न प्रपत्र 1–4)

B. कार्य प्रक्रिया–विद्यालय स्तर पर :–

1. सर्वप्रथम विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति अपने विद्यालय की सुविधाओं के लिए आवश्यकताओं का चिन्हिकरण करें एवं प्राथमिकता अनुसार विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति में प्रस्ताव का अनुमोदन करावें।
2. क्रय में वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता उच्च स्तरीय होनी चाहिए।
3. सामग्री क्रय कर रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, बिल बाउचर्स को सुव्यवस्थित संधारित करें।
4. उपयोग के पश्चात् वित्तीय वर्ष समाप्ति के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र नोडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा जिला कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इस हेतु संस्थाप्रधानों को निर्देशित करें।

विद्यालय वार्षिक अनुदान की जारी राशि का व्यय निम्न मदों में नहीं किया जावे–

1. फर्नीचर क्रय हेतु (छात्र/प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/स्टॉफ कक्ष में फर्नीचर क्रय नहीं किया जावे)।

2. उत्सव मनाना व उत्सव आयोजन के फोटो खिंचवाना।
3. स्थायी सामग्री का क्रय।

C. ध्यान देने योग्य बिन्दु :–

1. विद्यालय वार्षिक अनुदान राशि के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री पूर्णपारदर्शिता एवं नियमानुसार क्रय की जावे।
2. सामग्री क्रय करते समय दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए छात्र/छात्रा हित एवं विद्यालय आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जावे।
3. क्रय की गई सामग्री का उचित रख–रखाव करते हुए, वर्ष पर्यन्त उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
4. विद्यालय निरीक्षण के दौरान अधिकारी विद्यालय वार्षिक अनुदान के तहत ली गई सामग्री के सार्थक उपयोग का भी अवलोकन करें एवं प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करें।
5. विद्यालय वार्षिक अनुदान (एसएजी) 2016–17 की क्रियान्विति निर्धारित समय सीमा में ही करें एवं 28 फरवरी, 2017 तक समस्त राशि का व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।

जिन विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 में नामांकन शून्य हैं उन विद्यालयों को यह राशि जारी नहीं की गई हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

16/6/16
(सावित्री शर्मा)
उपायुक्त द्वितीय
रामाशिप, जयपुर

प्रतिलिपि :–

1. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
3. नियंत्रक वित्त, रामाशिप, जयपुर को देकर लेख है कि सत्र 2016–17 में व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समस्त जिला परियोजना समन्वयक रामाशिअ से प्राप्त करावें।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक, एसएजी, रामाशिप, जयपुर।
5. अति. जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले को देकर लेख है कि उपर्युक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें।
6. लेखा शाखा, रामाशिप, जयपुर।
7. कार्यालय पत्रावली।

16/6/16
उपायुक्त द्वितीय
रामाशिप, जयपुर

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–1 (प्रति विद्यालय)

विद्यालय का नाम :.................................... (विद्यालय कोड :......................................)

(राशि रूपयों में)

क्र.सं	सत्र	ब्लॉक	जिला	विद्यालय को प्राप्त राशि	विद्यालय द्वारा व्यय राशि	मद जिन पर व्यय किया गया	नियमानुसार व्यय हाँ/नहीं	शेष रहने का कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016–17									
योग									

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

(राशि रूपयों में)

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–2 (विद्यालय स्तर पर रिकॉर्ड संधारण)

सत्र 2016–17

क्र.सं	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम, पता व मो.नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–3 (विद्यालयों का समेकित)

सत्र 2016–17

(राशि रूपयों में)

क्र.सं	विद्यालय का नाम	विद्यालय कोड	ब्लॉक	जिला	विद्यालय द्वारा क्रय सामग्री	तादाद	दर	कीमत	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम, पता व मो.नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

विद्यालय वार्षिक अनुदान विवरण प्रपत्र–4 (जिला स्तरीय समेकित)

(राशि रूपयों में)

क्र.सं	सत्र	विद्यालयों की संख्या	विद्यालय को जारी राशि	विद्यालय द्वारा व्यय की गई राशि	शेष अनुपयोगित राशि	नियमानुसार व्यय हाँ / नहीं	अनियमितता के संदर्भ में की गई कार्यवाही	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6(4-5)	7	8	9
	2016–17							
	योग							

हस्ताक्षर सक्षम अधिकारी मय सील

कार्यालय का नाम..

क्रमांक :................................ दिनांक..................................

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2015–16 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में...(विद्यालय का नाम) को प्राप्त राशि..........................में से ....राशि नियमानुसार व्यय की गई है, उक्त में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

प्रमाणितकर्ता
(संस्थाप्रधान)
मय मोहर

(7)

कार्यालय का नाम : अति. जिला परियोजना समन्वयक जिला...

क्रमांक................................ दिनांक :.........................

राशि जारी किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सत्र 2016–17 हेतु विद्यालय वार्षिक अनुदान मद में निम्नानुसार राशि जारी कर दी गई है :–

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	विद्यालयों की संख्या	आवंटित राशि	जारी राशि	राशि जारी किए जाने की दिनांक
योग					

प्रमाणित कर्ता
अति. जिला परियोजना समन्वयक
मय मोहर